EAST CENTRAL RAILWAY

पूर्व मध्य रेल

EAST CENTRAL RAILWAY

RBE No.27/2019

PCPO's Sl.No.34/2019

No. E/210/O/ECR/HJP

Dated:- 13.03.2019

1. CAO (Con.)/ उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे, हाजीपुर।
3. DRM/ पूमरे/मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
5. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पू.म.रे/हाजीपुर।
6. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
7. CWM/ पीडी/मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर/हरनौत।
8. Sr.DPO/ पूमरे/मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
9. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
10. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फरपुर एवं भूली।
11. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पू.म.रे/हाजीपुर।

विषय : Promotion of X-Ray Attendant and other staff to the post of Radiographer (L-5) GP Rs.2800.

संदर्भ : Railway's Boards Lt. No.E(NG)I-2016/PM10/2 Dated: 19.02.2019

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.

13.03.19

(पंकज कुमार)
वकाधि/एम.पी.पी.
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)/हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित :–

1. महासचिव/ईसीआरकेयू/पू.म.रे./हाजीपुर।
2. महासचिव/एस0.सी0./एस0.टी0./एशोसिएशन/पू.म.रे./हाजीपुर।
3. वकाधि (एम.पी.पी.),पू.म.रे/हाजीपुर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पू.म.रे./हाजीपुर।

महाप्रबंधक (प्रशासन) कार्यालय
पूर्व-मध्य रेल, हाजीपुर

25 FEB 2019

रेलवे बोर्ड का पत्र प्राप्ति सं0 4

RB/ESTT.No. 27/2019

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

No.E(NG)I-2016/PM10/2 New Delhi, dated 19.02.2019

The General Managers (P)
All Zonal Railways & Production Units
(As per standard list)

ECR
065469
25 FEB 2019

Sub:- Promotion of X-Ray Attendant and other staff to the post of Radiographer (L-5) GP Rs.2800 .

Pursuant to the recommendations of Atomic Energy Regulatory Board (AERB), the minimum educational qualification to fill up the post of Radiographers in PB-1 Rs.5200-20200 GP Rs.2800 (L-5) against 50% promotion quota from amongst serving Railway employees was, revised from Matriculation with Physics and Chemistry & possessing Diploma in X-Ray Technician's Course from a recognized Institute to 10+2 or equivalent examination passed with Science subject from a recognized Board and Radiographers/X-Ray Technologist course of minimum one year duration (including in field training in diagnostic radiology) vide Board's letter No.E(NG)I-2003/PM10/4 dated 02.12.2011.

2. NFIR, in its agenda Item No.51/2016, have raised a demand in the PNM Meeting that possibility may be explored to impart training to existing staff who do not possess the requisite qualifications presently for further promotion, to make them eligible for consideration for such further promotion subject to fulfillment of all other eligibility conditions.

3. The matter has accordingly been considered in consultation with the Health and Finance Directorates of Railway Board. It has been decided that X-Ray Attendants recruited with pre-revised qualification may be encouraged/granted study leave to acquire the requisite qualification from a recognised institution either through distance learning or by joining a course of study on regular basis. On acquiring of such qualification they will be eligible for consideration for promotion as per their turn, otherwise eligible. The Zonal Railways accordingly may consider request of employees in question favourably for grant of study leave as per the extant rules.

Ruling

Please acknowledge receipt.

(M.K. Meena)
Deputy Director Estt.(N)
Railway Board

आरबी/स्था.सं. 27/2019

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)I-2016/पीएम10/2 नई दिल्ली, दिनांक 19.02.2019

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- एक्स-रे अटेंडन्ट और अन्य कर्मचारियों की रेडियोग्राफर (एल-5) जीपी रु.2800 के पद पर पदोन्नति।

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) की सिफ़ारिशों के अनुसार, सेवारत रेलवे कर्मचारियों में से 50% पदोन्नति कोटा के तहत पीबी-1 रु.5200-20200 जीपी रु.2800 (एल-5) में रेडियोग्राफर के पद को भरने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता को बोर्ड के दिनांक 02.12.2011 के पत्र सं. ई(एनजी)I-2003/पीएम10/4 के तहत भौतिकी और रसायन विज्ञान में मैट्रिक परीक्षा एवं मान्यताप्राप्त संस्थान से एक्स-रे टेकनीशियन का कोर्स किया हो, से संशोधित करके 10+2 अथवा मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय से समकक्ष परीक्षा पास की हो और न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का रेडियोग्राफर/एक्स-रे टैक्नोलजिस्ट का कोर्स किया हो (जिसमें नैदानिक रेडियोलोजी में फील्ड प्रशिक्षण शामिल हो), किया गया था।

2. एनएफआईआर, ने अपनी कार्यसूची मद सं. 51/2016 में पीएनएम बैठक में मांग उठाई है कि मौजूदा स्टाफ, जिनके पास वर्तमान में अगली पदोन्नति के लिए अपेक्षित अर्हता नहीं है, को प्रशिक्षण देने की संभावनाओं का पता लगाया जाए ताकि उन्हें अगली पदोन्नति के विचारार्थ अर्हक बनाया जा सके, बशर्ते वे पात्रता संबंधी अन्य सभी शर्तें पूरी करते हों।

3. तदनुसार, इस मामले पर रेलवे बोर्ड के स्वास्थ्य और वित्त निदेशालयों के परामर्श से विचार किया गया है। यह विनिश्चय किया गया है कि एक्स-रे अटेंडन्ट, जिन्हें संशोधन पूर्व अर्हता पर भर्ती किया गया था, को मान्यताप्राप्त संस्थानों से दूरस्थ शिक्षा अथवा नियमित रूप से अध्ययन के पाठ्यक्रम में शामिल होकर अपेक्षित अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए/अध्ययन अवकाश दिया जाए। ऐसी अर्हता प्राप्त करने पर, वे अपनी बारी के अनुसार पदोन्नति के लिए विचार करने के लिए पात्र होंगे। तदनुसार, क्षेत्रीय रेलें मौजूदा नियमों के अनुसार अध्ययन अवकाश प्रदान करने के लिए कर्मचारियों के अनुरोध पर विचार करें।

कृपया पावती दें।

(एम.के. मीना)
उप निदेशक स्था. (एन)
रेलवे बोर्ड